न्यायालय उपखण्ड अधिकारी २(आंवला)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

बमुकद्दमा सरकार बनाम ओमवती

धारा 136 LR Act   मु०नं० 11/19

7/6/19 पत्रावली पेश हुई अवलोकन किया गया कि यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार आंवला की ओर से अन्तर्गत धारा 136 LR Act इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि ग्राम मदारीपुर तहसील आंवला की वर्तमान जमाबन्दी सन् 2072-75 के खाता संख्या 22 के ख०नं० 409 रकबा 0.41 बीघा 0.2 हे० पर, ओमवती पत्नी दिनेश चन्द्र कौम ग्रा०सा०देह हि० 605/3327.50 वर्गगज व, रतनसिंह पुत्र रोशन सिंह हि० 302.50/3327.50 वर्गगज, रामबाबू पुत्र श्रीराम हि० 478/3327.50 वर्गगज, व श्यामसुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह हि० 1/2, जगदीश उर्फ जग्गा हि० 1/2 हि० विक्रेता हि० ~~1675~~ 1675.34/3327.50 वर्गगज कौम ग्रा०सा० देह खातेदार दर्ज है जो कि सम्पूर्ण खाते का हिस्सा पूरा (1) नहीं है जिससे जमाबन्दी संशोधन में खाता अपवादित है। इस कारण उनके पूर्व की जमाबन्दियों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम मदारीपुर कि जमाबन्दी सन् 2060-63 के खाता सं. 370 के खसरा सं 409 रकबा 1.02 बीघा पर श्यामसुन्दर उर्फ सुन्दरसिंह हि 1/2, जगदीश उर्फ जग्गा हि० 1/2 हि० विक्रेता कौम ग्रा०सा० देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जब कि सम्पूर्ण खाते का हिस्सा पूर्ण है किन्तु इसमें जमाबन्दी में दोनों खातेदारों ने संयुक्त रूप से नामान्तरण सं. 1350 से हि 4/22 के बैनामा, ओमवती पत्नी दिनेश चन्द्र को नामान्तरण संख्या से हि० 2/22 का बैनामा रतन सिंह पुत्र रोशन लाल जाति जादव को तथा नामान्तरण संख्या 1353 से हि० 478/3327.50 का बैनामा रामबाबू पुत्र श्रीराम को एव नामान्तरण संख्या 1355 से हि० 266.66/3327.50 का बैनाम गिरीश, राजेन्द्र उर्फ राजू, वीरेन्द्र, नरेन्द्र, मुकेश पुत्रान श्याम सुन्दर को कर दिया। जिसका नोट जमाबन्दी में अंकित है। किन्तु आगामी जमाबन्दी

सभी खातेदारों का हिस्सा सही है किन्तु मद्दन से श्याम सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह 1/2 व जगदीश उर्फ जग्गा 1/2 पिसरान बिहारी हि क्र. 1675.34/3327.50 वर्ग गज दर्ज हो गया है जो गलत है। इसके स्थान पर श्याम सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह, जगदीश उर्फ जग्गा पि. बिहारी हि. व 1675.34/3327.50 होते है। अतः सं. 2072-75 की जमाबन्दी के खाता सं 22 के खसरा 409 पर इनके उक्तानुसार सही हिस्सा दर्ज करने हेतु [illegible] के आदेश दिये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हल्का रिकार्ड नकल जमाबन्दियां एवं रिपोर्ट पटवारी व ILR का परगौर किया। जिनके अवलोकन से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। इसलिए हम प्रार्थना पत्र 136 LR Act स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना 136 LR Act स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मढ़ारेप तहसील राजाखेड़ा की जमाबन्दी सं. 2072-75 के खाता सं. 22 के खसरा नम्बर 409 रकबा 1.02 बीघा पर वर्तमान में दर्ज खातेदारों के हिस्से में, खातेदार श्यामसुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह हि. 1/2 एवं जगदीश उर्फ जग्गा हि. 1/2 पि. बिहारी हि. 1675.34/3327.50 वर्गगज में शुद्धि की जाकर उक्त दोनों खातेदारों में से हि. 1/2 व 1/2 हटाये जाने तथा दोनों केवल (संयुक्त रूप से) हि. 167.34/3327.50 दर्ज रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार शुद्धि हेतु तहसीलदार राजाखेड़ा को परवाना जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)